दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 27 सितंबर, 2023
उद्घोषित: 30 जनवरी, 2024

<u>वै.अ.(परि.न्या.) 167/2019 और सि.वि.आ. 30637/2019</u>

सुलोचना .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अशोक शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

विष्णु दत्त .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मृणाल भारती, श्री मनीष कुमार शेखरी और सुश्री संजना श्रीवास्तव, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति श्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. नीना बंसल कृष्णा</u>

एक पत्नी को किसी को भी उसकी वित्तीय सीमाओं की निरंतर याद नहीं दिलानी चाहिए। दूरस्थ और अद्भुत सपनों को पूरा करने के लिए जीवनसाथी पर दबाव डालना, जो स्पष्ट रूप से उसकी वित्तीय पहुंच के भीतर नहीं है, लगातार असंतोष की भावना पैदा कर सकता है जो किसी भी विवाहित जीवन

से संतोष और प्रशांति को खत्म करने के लिए पर्याप्त मानसिक तनाव होगा। व्यक्ति को आवश्यकताओं, चाहतों और इच्छाओं के बीच सावधानी से चलना चाहिए।

1. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत वर्तमान अपील अपीलार्थी (*विवाह विच्छेद याचिका में प्रत्यर्थी*) की ओर से दिनांक 14.02.2019 के निर्णय और आदेश के विरूद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा ***हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद "एचएमए, 1955" के रूप में संदर्भित) की धारा 13(1) (झक) और धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत*** क्रूरता के आधार पर और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन्न की डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन्न न होने पर ***विवाह विच्छेद अनुदत्त किया गया है***।

2. संक्षेप में कहा गया है, दोनों पक्षकारगण का विवाह दिनांक 22.05.1997 को हुआ और दिनांक 18.06.1999 को इस विवाह से एक बेटे का जन्म हुआ।

3. ***प्रत्यर्थी/पति ने अपनी विवाह विच्छेद याचिका*** में प्राख्यान किया था कि विवाह के बाद, दोनों पक्षकारगण प्रत्यर्थी के माता-पिता के साथ नगीना (हरियाणा) में रहने लगे, परंतु अपीलार्थी को यह प्रतिग्राह्य नहीं था। उसके आग्रह पर, वे प्रत्यर्थी के भाई और भाभी के घर में रहने के लिए दिल्ली चले गए क्योंकि प्रत्यर्थी के पास दिल्ली जैसे महानगरीय शहर में स्वतंत्र निवास स्थान स्थापित करने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। यद्यपि, अपीलार्थी का रवैया

अशोभनीय, मनमौजी था और उसकी भाभी के साथ उसके अक्सर मतभेद रहते थे। अपीलार्थी और भाभी के बीच छोटी-छोटी बातों पर नोकझोंक और झगड़े होते रहते थे। अपीलार्थी के ऐसे गैरजिम्मेदार, अनियमित और आक्रामक व्यवहार के कारण, उसे वर्ष 2004 में दिल्ली में एक अलग निवास स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्र निवास में स्थानांतरित होने के बाद भी, अपीलार्थी का रवैया नहीं बदला और वह अपमानजनक और झगड़ालू बनी रही। अपने कार्यालय से वापस लौटने के बाद वह अक्सर उससे लड़ती थी। साथ ही इन झगड़ों के कारण कई बार वह बिना नाश्ता किए ही अपने कार्यालय चला जाता था।

4. प्रत्यर्थी/पति ने आगे प्राख्यान किया कि विवाह के समय, उसने अपने क्रेडिट कार्ड से लगभग 32,000/- रुपये खर्च किए थे। उसने 24,000 रुपये लौटा दिए और शेष 8,000/- रुपये अपीलार्थी के माता-पिता से ऋण लेकर वापस किए। अपीलार्थी ने अपने माता-पिता से कर्ज लेने के लिए उसे ताना मारा और यह भी प्राख्यान किया कि अगर उसके पास खर्चों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नहीं थी तो उसने विवाह क्यों किया।

5. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसने अपीलार्थी/पत्नी के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर उसे कुछ हो जाता, एलआईसी पॉलिसी ली थी। उसने आर्थिक तंगी के बावजूद भी उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की। यहां तक कि उसकी गर्भावस्था के दौरान भी, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार

उसकी अच्छी देखभाल की और वह इस उम्मीद में उसके नखरे सहता रहा कि आखिरकार चीजें ठीक हो जाएंगी। यद्यपि, प्रत्यर्थी ने उस पर बेवफा होने का गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाया; इतना कि बच्चे के जन्म के बाद, जब प्रत्यर्थी की एक पारिवारिक सखी बच्चे के जन्म पर बधाई देने के लिए उनके घर आई, तो अपीलार्थी ने सार्वजनिक आरोप लगाया कि वह बुरे चरित्र की महिला है और उसके प्रत्यर्थी/पति के साथ किसी प्रकार के अवैध संबंध थे, जो उसके लिए अत्यधिक मानसिक आघात और अपमान का स्रोत था। उसने उस पर अपने कार्यालय में लंबे समय तक काम करने के कारण विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया।

6. प्रत्यर्थी ने आगे प्राख्यान किया कि उसने अपने जीवन में सभी दुखों और जीवन की सुख-सुविधाएं प्रदान न कर पाने के लिए उसे दोषी ठहराया। उसने उच्च समाज में जीवन जीने का सपना देखा था और सीमित संसाधनों में तालमेल बिठाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण प्रत्यर्थी के साथ उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। कभी-कभी, वह उनके विवाह एल्बम के लिए विवाह की तस्वीरें निकाल लेती थी और उन्हें उतार देती थी, जिससे प्रत्यर्थी का अत्यधिक मानसिक उत्पीड़न होता था। वह केवल प्रत्यर्थी/पति को उकसाने के लिए अपने बच्चे को पीटती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसे बच्चे से बहुत स्नेह है।

7. प्रत्यर्थी/पति ने दावा किया कि वह अपीलार्थी के ऐसे आचरण से इतना निराश हो गया था कि वह ज्यादातर समय परेशान रहता था और अपने कार्यालय के काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई बार डांटा गया था। इस प्रकार के आचरण के परिणामस्वरूप पक्षकारगण के मध्य शारीरिक अंतरंगता भी कम हो गई।

8. प्रत्यर्थी ने आगे प्राख्यान किया कि दिसंबर, 2004 में, अपीलार्थी बच्चे के साथ, प्रत्यर्थी को सूचित किए बिना दाम्पत्य निवास छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गई। प्रत्यर्थी द्वारा बहुत समझाने के बावजूद, उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। यद्यपि, वह बच्चे की जांच के लिए मार्च, 2005 में बच्चे के साथ वापस आ गई, परंतु उसकी अनुपस्थिति में जून 2005 में वह फिर से चली गई और अपना सारा सामान ले गई। इसके बाद उसने दाम्पत्य निवास लौटने से इनकार कर दिया और प्रत्यर्थी को अवयस्क बच्चे से मिलने भी नहीं दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी को अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा हेतु संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत संरक्षकता याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

9. इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने ***एचएमए, 1955 की धारा 13 (1)(झक) और धारा 13 (1)(झख) के अंतर्गत क्रूरता और अधित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग की।***

10. प्रत्यर्थी ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने एचएमए की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की थी, जिसे परिवार न्यायालय ने दिनांक 19.03.2008 को अनुज्ञात किया था। प्रत्यर्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी परंतु उसे खारिज कर दिया गया। चूंकि डिक्री पारित होने के एक वर्ष से अधिक समय तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ था, इसलिए उसने ***एचएमए की धारा 13 (1ए) (ii)*** के अंतर्गत विवाह विच्छेद की भी मांग की।

11. अपीलार्थी/पत्नी ने अपने ***लिखित बयान*** में प्रत्यर्थी द्वारा अपनी याचिका में लगाए गए सभी आरोपों का प्रत्याख्यान किया। उसने दावा किया कि विवाह विच्छेद की याचिका सही तथ्यों पर आधारित नहीं थी और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे, निराधार और पूर्ण रूप से अपीलार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत थे। उसने कहा कि वह उपाधि प्राप्त है और प्रत्यर्थी और वे अपने ससुराल वालों के प्रति हमेशा वफादार, सम्मानजनक और आज्ञाकारी रही है और उसने अपने सभी वैवाहिक दायित्वों को कर्तव्यनिष्ठा से निभाया है। उसने दावा किया कि वैवाहिक घर में रहने के उसके सभी प्रयास प्रत्यर्थी द्वारा विफल और पराजित हुए। उसने इस बात का प्राख्यान किया कि विवाह विच्छेद की याचिका खारिज कर दी जाए।

12. अभिवचनों पर मुद्दों को दिनांक 28.07.2008 को विरचित किया गया था, जो इस प्रकार है:-

"(i) क्या प्रत्यर्थी ने विवाह संपन्न होने के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता से व्यवहार किया है? साबित करने की ज़िम्मेदारी वादी पर है
(ii) राहत।"

13. प्रत्यर्थी ने स्वयं को अभि.सा.-1 के रूप में परीक्षित कराया; इसके अलावा, उसने अपने माता-पिता श्री आर.पी. शर्मा और श्रीमती असर्फी देवी को अभि.सा.-2 और अभि.सा.-6 के रूप में परीक्षित कराया। उसकी दो बहनें श्रीमती मधु और श्रीमती बबीता अभि.सा.-3 और अभि.सा.-4 हैं। श्रीमती निशि गुप्ता, उसकी पारिवारिक सखी और श्री उमेश चंद शर्मा, याचिकाकर्ता के भतीजे/भांजे को क्रमशः अभि.सा.-5 और अभि.सा.-7 के रूप में परीक्षित कराया।

14. अपीलार्थी, (जो विवाह विच्छेद याचिका में प्रत्यर्थी थी) ने स्वयं को प्र.सा.-1 और अपनी पड़ोसन श्रीमती शीला का प्र.सा.-2 के रूप में परीक्षित कराया। उन्होंने अपनी बहन श्रीमती मंजू और बहनोई श्री विष्णु शर्मा को भी प्र.सा.-3 और प्र.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया।

15. **परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश** ने साक्ष्यों की सराहना करते हुए पाया कि प्रत्यर्थी अपने परिसाक्ष्य के साथ-साथ पक्षकारगण के अन्य सभी साक्ष्यों से यह प्रमाणित करने में सफल रहा कि अपीलार्थी का आचरण उचित नहीं था। वह झगड़ालू होने के साथ-साथ प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति बेहद अपमानजनक थी और यह भी कि जब वे शुरू में दिल्ली में उनके साथ रह रहे थे तो उसका व्यवहार भाभी के साथ ठीक नहीं था। इसके अलावा,

उसके परिसाक्ष्य से यह भी प्रमाणित हुआ कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को ताना मारती थी और लगातार झगड़ा और डांट-फटकार होती रहती थी। प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य में प्राख्यान किया गया कि अपीलार्थी ने उसके लंबे काम के घंटों के कारण उसे बेवफा कहा और विवाह की तस्वीरें काटने की घटना को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इनमें से किसी भी पहलू पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं हुई थी। इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा जून, 2005 में वैवाहिक घर छोड़ने के विषय में भी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी का परिसाक्ष्य, जैसा कि उसके द्वारा परीक्षण किए गए साक्षियों द्वारा समर्थित है, ने स्थापित किया कि अपीलार्थी द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी और परिणामस्वरूप ***एचएमए की धारा 13 I (झ-क) के अंतर्गत विवाह विच्छेद को अनुज्ञात किया गया था।*** यद्यपि, यह अवलोकन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वैवाहिक घर छोड़ने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले याचिका दायर की गई थी और इस प्रकार, ***अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद अस्वीकार कर दिया गया था।***

16. परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि दिनांक 19.03.2008 की डिक्री के बावजूद एक वर्ष तक कोई सुलह या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ और प्रत्यर्थी को ***एचएमए की धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत विवाह विच्छेद का हकदार माना गया है***।

17. उक्त निर्णय से व्यथित होकर पत्नी/अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

18. **पक्षकारगण के अधिवक्तागण की प्रस्तुतियाँ सुनी गईं और साक्ष्यों के साथ-साथ दस्तावेजों का भी परिशीलन किया गया।**

19. दोनों पक्षकारगण ने स्वीकार किया कि उनका विवाह दिनांक 22.05.1997 को हुआ था और उनके विवाह से उनका एक बेटा था। यह विवाह 2005 तक अर्थात् दोनों पक्षकारगण के अलग होने से लगभग आठ वर्ष पहले तक चलता रहा।

20. अभिलेख दर्शाता है कि अपीलार्थी की झगड़ालू प्रकृति, उसके चरित्र के विरुद्ध संदेह और आरोपों और उसके वैवाहिक दायित्वों को निभाने में उसकी विफलता के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी/पति के पूर्ण साक्ष्यों में अस्वीकृत रही है। अपीलार्थी के आचरण के संबंध में प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य ने उसके कार्यालय के काम को इस हद तक प्रभावित किया कि उसे अक्सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से डांट पड़ती थी, उसका बच्चे के साथ शारीरिक उत्पीड़न, उनके विवाह की तस्वीरों को फाड़ने की घटना, उसकी बहन के प्रति उसका अपमानजनक रवैया, पति को उसकी आर्थिक तंगी के लिए ताने देने की बात का अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान खंडन नहीं किया गया।

21. शीर्ष न्यायालय ने *एन.जी. दास्ताने बनाम एस दास्ताने* (1975) 2 एससीसी 326 के मामले में मानसिक क्रूरता की अवधारणा का परीक्षण किया। यह देखा गया कि मानसिक क्रूरता के मामले में जांच यह होनी चाहिए कि क्या क्रूरता के रूप में आरोपित आचरण इस प्रकार का है कि याचिकाकर्ता के मन में यह उचित आशंका पैदा हो कि उसके लिए प्रत्यर्थी के साथ रहना हानिप्रद या हानिकारक होगा।

22. शीर्ष अदालत ने *ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर* 2005 (2) एससीसी 22 के मामले में अवलोकन किया कि क्रूरता एक पति या पत्नी का ऐसा आचरण है, जो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर क्रूरता शारीरिक है तो इसे समझना आसान है परंतु समस्या तब पैदा होती है जब यह दावा किया जाता है कि क्रूरता मानसिक है। यह समझाया गया था कि ***सबसे पहले*** क्रूर व्यवहार की प्रकृति के बारे में ***जांच*** की जानी चाहिए, ***दूसरे***, पति या पत्नी के दिमाग पर इसका प्रभाव और क्या इससे उचित आशंका पैदा हुई कि यह पति या पत्नी के लिए हानिप्रद या हानिकारक होगा। ***अंततः***, शिकायत करने वाले पति या पत्नी पर प्रभाव का निष्कर्ष निकालना होगा। यदि यह स्वयं में ही शिकायत किए गए आचरण से खराब है, तो यह पति/पत्नी के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है और आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आचरण ही क्रूरता के निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है जो निराधार किस्म की हो

सकती है, जो सूक्ष्म या क्रूर हो सकती है और यह शब्दों, अंगविक्षेपों या केवल मौन, हिंसक या अहिंसक हो सकती है।

23. वर्तमान मामले में, *जयचंद्र* (पूर्वोक्त) मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय परीक्षण को लागू करते हुए, यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उदासीनता, गैर-समायोज्य प्रकृति, पति की वित्तीय क्षमता पर लगातार ताने मारना, पारिवारिक संबंधों को बाधित करना और अत्यंत अपमानजनक रवैया, अपने आप में एक ऐसा आचरण है जो प्रत्यर्थी के मन में अशांति पैदा करेगा। इस प्रकार, ऐसे लगातार कलह और झगड़ों ने प्रत्यर्थी के दिमाग में लगातार तनाव पैदा किया और उसके मानसिक कल्याण पर भी प्रभाव डाला।

24. एचएमए की धारा 13(1)(झ-क) के अंतर्गत क्रूरता के संदर्भ में *समर घोष बनाम जया घोष* (2007) 4 एससीसी 511 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा कि मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़े, वैवाहिक जीवन में सामान्य टूट-फूट जो सभी परिवारों में दैनिक जीवन में होता है, वह किसी पक्ष को क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री का अधिकार प्रदान नहीं करेगा; *अनुचित और निंदनीय आचरण अस्तित्व में बने रहना और इसे जारी रखना जो दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।* इसके अलावा, न्यायालय को समग्र रूप से विवाहित जीवन की समीक्षा करनी चाहिए जिससे यह देखा जा सके कि क्या

जीवनसाथी का आचरण क्रूरता के समान है या नहीं, जो इस स्थिति तक खराब हो गया है कि जीवनसाथी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्षकार का अब दूसरे पक्षकार के साथ रहना बेहद मुश्किल हो गया है।

25. प्रत्यर्थी द्वारा वर्णित विभिन्न घटनाएं, अपीलार्थी के समग्र आचरण और गैर-समायोजित रवैये के प्रति, जिसमें पति के साथ मतभेदों को सुलझाने में भी परिपक्वता की कमी थी, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि ऐसे आचरण से प्रत्यर्थी के मन में उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की गंभीर आशंका पैदा हो जाएगी। यद्यपि स्वतंत्र रूप से विचार करने पर ये घटनाएँ अहानिकर, महत्वहीन या मामूली लग सकती हैं, परंतु जब इस प्रकार का आचरण लंबे समय तक चलता है, तो इससे एक प्रकार का मानसिक तनाव पैदा होना तय है, जिससे पक्षकारगण हेतु अपने वैवाहिक संबंध में बने रहना असंभव हो जाता है, जैसा कि *ए. जयचंद्र* (पूर्वोक्त) और *गुरबक्स सिंह बनाम हरमिंदर कौर*, (2010) 14 एससीसी 301 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था।

26. **इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा एचएमए की धारा 13 1 (झक) के अंतर्गत विवाह विच्छेद अनुदत करने के लिए यह सही अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी के साथ क्रूरता की गई थी।**

27. प्रत्यर्थी को ***एचएमए की धारा 13 (1क) (ii)*** के अंतर्गत विवाह विच्छेद अनुदत्त किया गया है, जो यह प्रावधान करता है कि यदि एचएमए की धारा 9 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि की डिक्री के बावजूद दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं होता, तो दोनों पक्षकारगण में से कोई भी विवाह विच्छेद की मांग कर सकता है। अपीलार्थी ने प्रतिविरोध किया है कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री प्रत्यर्थी के विरुद्ध दी गई थी थी और चूंकि उसने इसका अनुपालन नहीं किया है, इसलिए वह एचएमए की धारा 23 के संदर्भ में अपनी गलती का लाभ उठाने का हकदार नहीं है।

28. यद्यपि, *श्रीमती गजना देवी बनाम पुरूषोतम गिरी* एआईआर 1977 दिल्ली 178 (1) और *धर्मेंद्र कुमार बनाम उषा कुमार*, एआईआर 1977 एससी 2218 के मामले में, यह देखा गया कि एचएमए की धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत भाषा, यह अतिशय रूप से स्पष्ट करती है कि एचएमए की धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत राहत, एक पूर्ण अधिकार है और यह इस बात से स्वतंत्र है कि एचएमए की धारा 9 के अंतर्गत कौन सा पक्षकार डिक्री धारक है। अनिवार्य रूप से, इस आधार पर विवाह विच्छेद का अर्थ अपनी गलती का लाभ उठाना नहीं है क्योंकि यह एक विधिक अधिकार है जो प्रत्यास्थापन की डिक्री के बावजूद दाम्पत्य अधिकारों के पुनरारंभ या प्रत्यास्थापन के बाद होता है। यह भी देखा गया है कि यह एक व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं होगा और वास्तव में पक्षकारगण को विवाह के दिखावे को बनाए रखने के लिए

मजबूर करना अनुचित और अमानवीय होगा, भले ही उनके बीच दरार पूरी हो गई हो और उनके कभी भी पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है।

29. यह एचएमए की धारा 13 (1 क) (ii) की भाषा से भी स्पष्ट है, जो यह है कि "कोई भी पक्षकार", जिसमें डिक्री धारक के साथ-साथ निर्णीत ऋणी भी शामिल है, जो दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री के गैर-अनुपालन के मामले में विवाह विच्छेद की मांग कर सकता है। यदि संसद का इरादा है कि यह केवल वह पक्षकार है जिसके पक्ष में प्रत्यास्थापन को अनुज्ञात किया गया है, जो एचएमए की धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत उपाय का लाभ उठा सकता है, तो उक्त धारा में तदनुसार भाषा का उपयोग किया गया होगा। तथ्य यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1क) (ii) "किसी भी पक्षकार" के लाभ की गारंटी देती है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि एचएमए की धारा 9 के अंतर्गत डिक्री का अनुपालन न करने की स्थिति में, कोई भी पक्षकार इस आधार पर विवाह विच्छेद पाने का हकदार है और निर्णीत ऋणी को राहत प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से प्रवारित नहीं किया जा सकता है। धारा 23 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत उपचार को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

30. **इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा एचएमए की धारा 13 (1क) (ii) के अंतर्गत विवाह**

विच्छेद को भी सही तरीके से अनुदत्त किया गया है। अपील में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

30 जनवरी, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*